Helpline **1064** **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर डिस्कॉम, बानसूर अलवर के तकनीकी सहायक को 28,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, 9 दिसम्बर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देशों पर एसीबी की अलवर–द्वितीय इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये सुनील कुमार तकनीकी सहायक (लाईनमैन, परसा का बास/उलेडा) जी0एस0एस0 नागललाखा, जयपुर डिस्कॉम बानसूर जिला अलवर को 28,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए. सी.बी. की अलवर द्वितीय ईकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके खेत के कृषि कनेक्शन में पूर्व में लगे स्वीकृत भार से अधिक 25 एचपी के ट्रांसफार्मर (डीपी) के स्थान पर स्वीकृत भार के अनुसार 16 एचपी का ट्रांसफार्मर के उपयोग पर जुर्माना राशि नहीं लगाने की एवज में सुनील कुमार तकनीकी सहायक द्वारा 30,000 रूपये की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर **एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन करवाया जाकर आज अलवर में एसीबी के **उप अधीक्षक पुलिस श्री सलेह मोहम्मद** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये **सुनील कुमार तकनीकी सहायक** (लाईनमैन, परसा का बास/उलेडा) जी0एस0एस0 नागललाखा, जयपुर डिस्कॉम बानसूर जिला अलवर को परिवादी से **28,000 रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।